न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0 क0 निगरानी —तीन / निग0 / अशोकनगर / भू–रा / 2017 / 2454

प्रेमसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जाति रघुवंशी
निवासी ग्राम विजयपुरा तहसील शाढौरा
जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश

—— आवेदक

विरूद्ध

1– अमरसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह रघुवंशी
2– मेहरवानसिंह पुत्र श्री अमरसिंह रघुवंशी
निवासीगंण ग्राम विजयपुरा, तहसील
शाढौरा, जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश

—— अनावेदकगंण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.07.2017 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील व जिला अशोकनगर के प्र0क0 83 अपील / 2010–11 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

श्रीमान् महोदय,

निगरानी आवेदन–पत्र अंदर अवधि निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि, अनावेदक कमांक–1 अमरसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारे के लिये आवेदन दिया जिस पर अधीनस्थ ग्राम पटवारी द्वारा ग्राम मढ़ीकानूनगो की नामांतरण पंजी कमांक 3 दिनांक 25 / 02 / 2010 को भरी तथा दिनांक 30 / 04 / 2010 को तस्दीक की गई।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर (11)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–111/निग0/अशोकनगर/भू.रा./2017/2454

प्रेम सिंह विरूद्ध अमर सिह(फोत)

वारिस प्रेम सिंह, मेहरवान सिंह,सरिता

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-03–18	यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग अशोकनगर जिला अशोकनगर के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 83/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2017 से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है कि आवेदक एवं अनावेदकगण के मध्य ग्राम पटवारी मढीकानूनगो की नामांतरण पंजी क्रमांक 3 दिनांक 25.2.2010 पर प्रस्तावित वटवारा दिनांक 30.04.2010 को आदेशित किया गया। इस बटवारा आदेश दिनांक 30.04.2010 के विरूद्ध आवेदक प्रेम सिंह द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 23.03.2011 को प्रस्तुत की गयी, आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर सुनवाई कर पारित आदेश दिनांक 12.07017 से अपील अवधि वाह्य मानते हुए निरस्त कर दी गयी । अनुविभागीय अधिकारी के इसी प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 12.07.17 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आवेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अधिवक्ता उपस्थित एवं अनावेदकगण की ओर से श्री जी0पी0 नायक अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में आवेंदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित किए गये है इसके अतिरिक्त आवेदक अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से यह भी बताया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी पर जो	

प्रकरण क्रमांक–111 / निग0 / अशोकनगर / भू.रा. / 2017 / 2454

प्रेम सिंह विरूद्ध अमर सिह(फोत)

वारिस प्रेम सिंह, मेहरवान सिंह,सरिता

बटवारा दिनांक 30.04.2010 को सत्यापित कर आदेशित किया गया है उस उस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है और न ही इस बटवारे के संबंध में आवेदक को किसी प्रकार की सूचना ही दी गयी। इस बटवारा दिनांक 30.04.2010 की मुझे जानकारी होते ही मेरे द्वारा उसकी नकल प्राप्त कर प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसे अवधिवाह्य मान कर निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कानूनी भूल की गयी है। यह भी बताया गया कि वटवारा पंजी का अवलोकन करने से ही स्पष्ट है कि पंजी पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी बताया गया कि विधितः वटवारा नामांतरण पंजी पर मान्य नहीं किया जा सकता इस कारण से ही यह वटवारा आदेश दिनांक 30.04.2010 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ऐंसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का प्रश्नाधीन आदेश दिनाक 12.07.17 विधि विपरीत होने से निरस्त करने का अनुरोध करते हुए यह निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया। उपरोक्त तर्को के अतिरिक्त लिखित तर्क प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया था किन्तु निर्धारित समयावधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किए गये।

अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में वही तथ्य दुहराए गये जो अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे जिनका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश में अंकित होने से यहां उन्हें दुहराया जाकर पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लिखित तर्क प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया था जिसे स्वीकार कर समय दिया गया निर्धारित समयावधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किए गये।

लिखित तर्क प्रस्तुत न करने की स्थिति में समक्ष में प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है।

प्रकरण क्रमांक–111/निग0/अशोकनगर/भू.रा./2017/2454

प्रेम सिंह विरूद्ध अमर सिह(फोत)

वारिस प्रेम सिंह, मेहरवान सिंह,सरिता

प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किय गया अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को गुण दोष के आधार पर निराकरण न करते हुए धारा 5 के आवेदन को यह अंकित करते हुए अस्वीकार कर दिया कि अपीलांट (निगरारी कर्ता) को प्रश्नाधीन बटवारा की जानकारी बंधक रखते समय ही हो चुकी थी। इस प्रकार धारा 5 अवधिविधान के आवेदन को निरस्त करते हुए अपील समाप्त कर दी गयी। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में उपस्थित विधि के प्रश्न पर कोई विश्लेषण नहीं किया गया। इस प्रकरण में मुख्य रूप विधि का यह प्रश्न उपस्थित था कि बटवारा नामांतरण पंजी पर किया गया है जबकि विधि अनुसार नामांतरण पंजी पर बंटवारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में (फूलमती विरूद्ध खगेश्वर, 1995रा.नि. 27) (मुन्ना विरूद्ध तुलती 1994 रा.नि. 302 एवं दशरथ विरूद्ध भुवन लाल1994 रा.नि.102) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि, **विभाजन का आदेश**– नामांतरण रजिस्टर पर नहीं दिया जा सकता''। इसी प्रकार धारा 5 अवधि विधान के आवेदन के संबंध में भी निम्न न्यायसिद्धांत में स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए गये है कि– जहां अपील में विधि का प्रश्न विचारणीय हो ऑन मेरिट सुनी जाना न्यायहित में होगा–माननीय सुप्रीम कोट ने 2002(11)एम.पी.जे.आर. 36 (डी. बी. सुप्रीम कोर्ट) (जस्टिस आर.सी. लाहौटी तथा जस्टिस डी.एम. धर्माधिकारी) ने म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ग्वालियर विरूद्ध रामचरन मृत बैध वारिस में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि ''हाईकोर्ट को अपील में बिलम्ब क्षमा करने के आवेदन पर उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, दूसरी महत्वपूर्ण सुप्रीमकोर्ट ने यह करार दी कि जहां अपील में

प्रकरण क्रमांक–111/निग0/अशोकनगर/भू.रा./2017/2454

प्रेम सिंह विरूद्ध अमर सिह(फोत)

वारिस प्रेम सिंह, मेहरवान सिंह,सरिता

विधि का प्रश्न विचारणीय हो वहां अपील आन मेरिट सुनी जाना न्याय हित में होगा। इस निर्णय का तात्पर्य यह है कि पक्षकार आन मेरिट न्यायपास के और अपील वेरूम्याद होने के आधार पर वह न्याय से बंचित नहीं हो सके''। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 12.07.2017 में उक्त दोनों ही विधि के कानूनी महत्वपूर्ण विन्दुओं पर विचार नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का प्रश्नाधीन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसरण में विधि का विवेचन करते हुए बोलता हुआ विधि संगत आदेश पारित करें। निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0 एम0के0 अग्रवाल)
सदस्य
राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश,
ग्वालियर